

104/20/2

①



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

Z 155732

दस्तावेज ट्रस्ट, (न्यास)

हम कि रामलखन यादव पुत्र श्री विजयशंकर यादव व गिरधर यादव पुत्र श्री विजयशंकर यादव मु-निजामुद्दीनपुरा, मऊनाथभंजन, जनपद-मऊ इस ट्रस्ट के संस्थापक ट्रस्टी हैं जो दिनांक 01/08/2017 को अस्तित्व में लाया गया। हम संस्थापक ट्रस्टी समाज सेवा जिसमें मुख्य रूप से शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, गरीबों के उत्थान, अनुसूचित जाति के लोगों के उत्थान करने में विशेष रुचि रखने के कारण इस ट्रस्ट की स्थापना करते हैं। मैं रामलखन यादव मुख्य संस्थापक ट्रस्टी प्रथम व गिरधर यादव महासचिव संस्थापक ट्रस्टी द्वितीय नियुक्त करते हुए वी0एस0वाई0 विद्या ट्रस्ट की स्थापना करने की घोषणा करते हैं ट्रस्ट का नाम, पता निम्नवत है।

ट्रस्ट (न्यास) का नाम-	वी0एस0वाई0 विद्या ट्रस्ट (न्यास)
ट्रस्ट का पता -	मुहल्ला निजामुद्दीनपुरा
	पोस्ट मऊनाथ भंजन
	थाना कोतवाली
	परगना सदर
	तहसील सदर
	जनपद मऊ

मुख्यालय - पंजीकृत कार्यालय मु0- निजामुद्दीनपुरा मऊनाथ भंजन, जनपद-मऊ (उ0प्र0)
आवश्यकतानुसार स्थानान्तरित किया जा सकता है।

सदस्यों का नाम व पता-

1. श्री रामलखन यादव पुत्र श्री विजयशंकर यादव, मु0-निजामुद्दीनपुरा, मऊ (मुख्य संस्थापक ट्रस्टी प्रथम)
2. श्री गिरधर यादव पुत्र श्री विजयशंकर यादव, मु0- निजामुद्दीनपुरा, मऊ (महासचिव संस्थापक ट्रस्टी द्वितीय)
3. श्री मुरलीधर यादव पुत्र श्री अखिलेश यादव, 244, निजामुद्दीनपुरा-मऊ
4. श्रीमती पुष्पा देवी पत्नी स्व0 वंशी, ग्रा0 बुढ़नपुर, किड़िहरापुर, बलिया (सदस्य)
5. श्री हरिनाथ सिंह यादव पुत्र स्व0 पूर्णमारी, ग्रा0-देऊपुर, गाई, गाजीपुर (सदस्य)
6. श्रीमती निर्मला पत्नी श्री विजय बहादुर, ग्रा0-तेन्दुली, पल्लिगढ़, मऊ (सदस्य)
7. श्रीमती विभा यादव पुत्री श्री शिवशंकर यादव, मु0 गालिबपुर (भीटी), मऊ (सदस्य)

Ramlakhan Yadav

कम र० 2202 स्टाम्प धनराशि 500/-

स्टाम्प विक्रय की तिथि 02.08.17

स्टाम्प क्रय करने का प्रयोजन.. कसू.डी.डी.

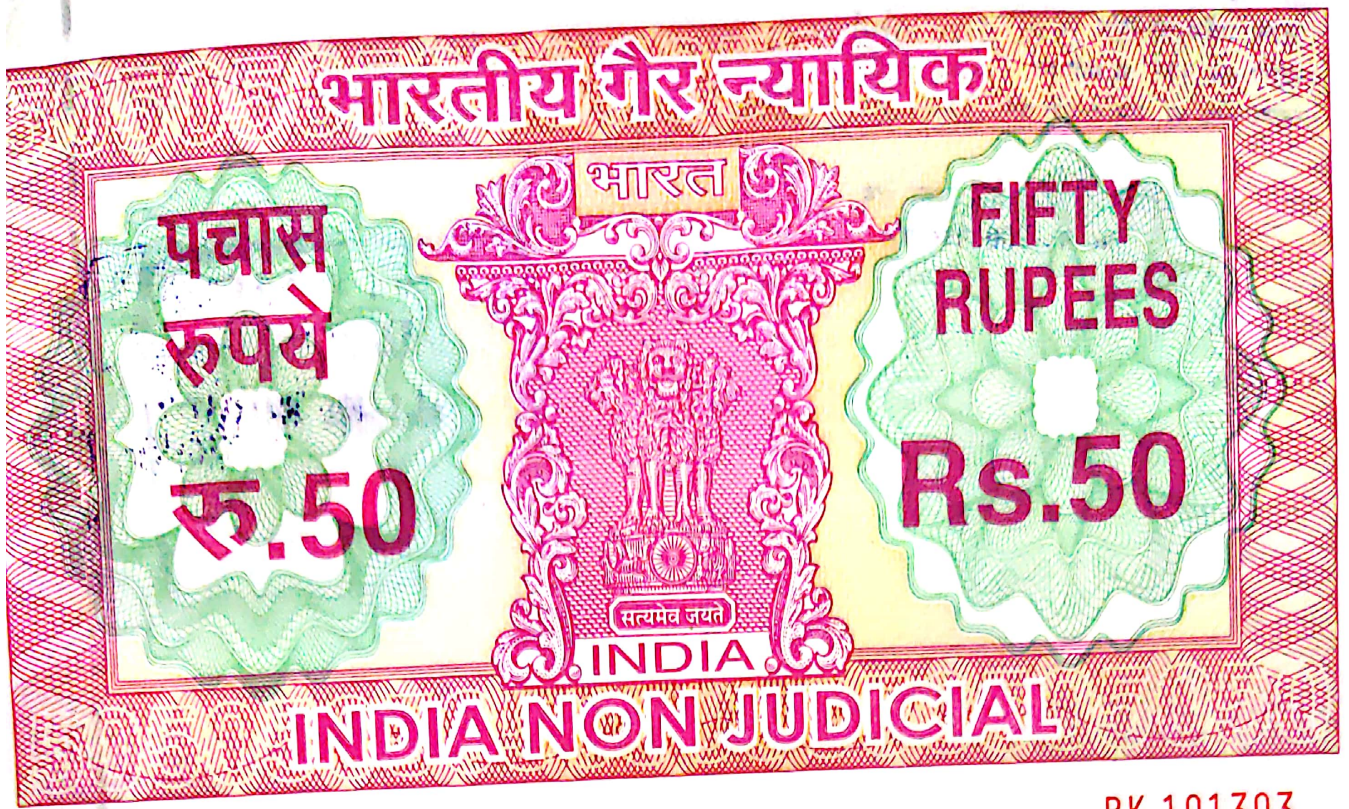
स्टाम्प क्रेता का नाम व पुरा पता.

रामलखन गण्डे 80 विजयप्रांशु मार्ग निजामुद्दीन
सस. मधे

स्टाम्प विक्रेता-गणेश प्रसाद राय

सो० नं०-100 सदर-मऊ





BK.101303

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

8. महेन्द्र यादव पुत्र शिवलोचन यादव ग्रा0-भुडसडी, पो0 रतनपुरा, जनपद-मऊ (सदस्य)

9. श्री अशोक यादव पुत्र शिवपूजन यादव, ग्राम-तेन्दुली, पल्लिगढ़-मऊ (सदस्य)

ट्रस्ट का नाम-

वी0एस0वाई विद्या ट्रस्ट (न्यास)

ट्रस्ट का पता-

मु0 निजामुद्दीनपुरा मऊनाथ भंजन, जनपद-मऊ

ट्रस्ट का कार्यक्षेत्र-

सम्पूर्ण भारतवर्ष

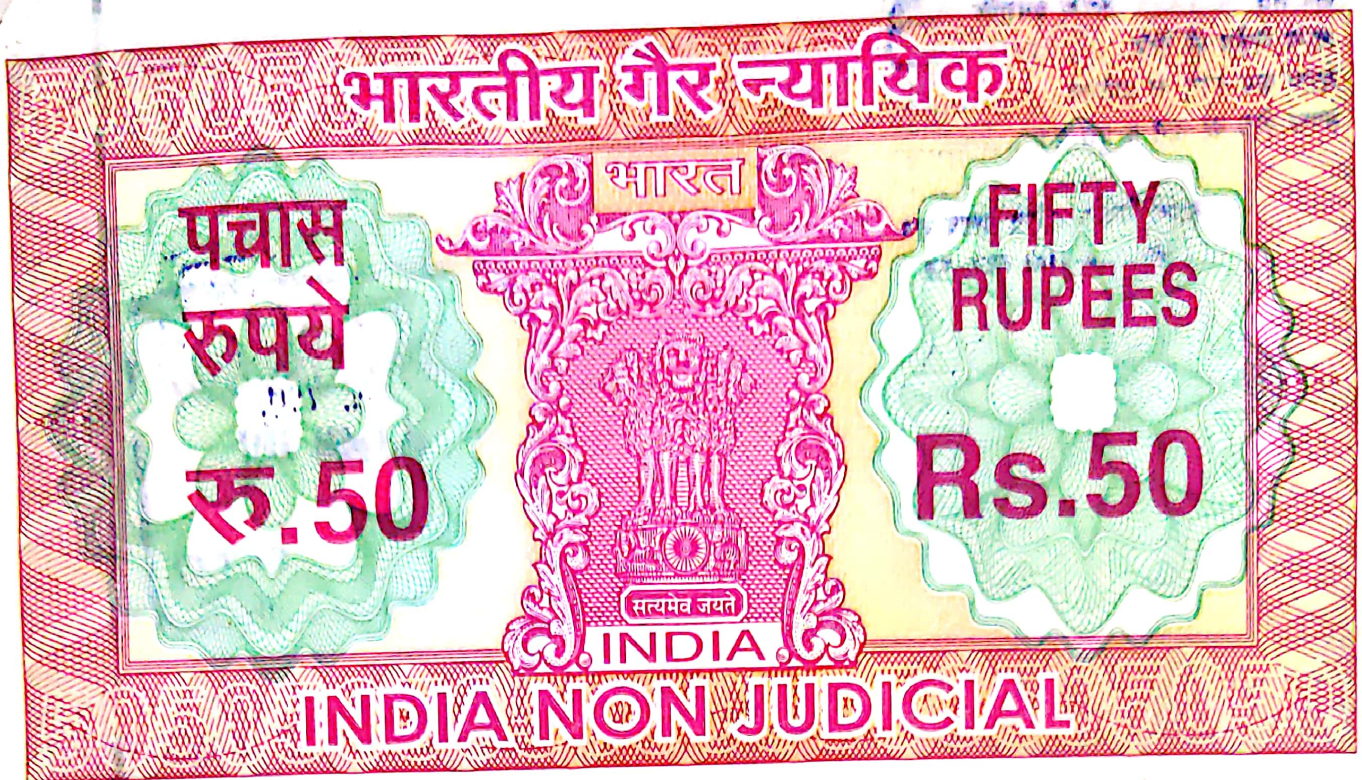
ट्रस्ट का मुख्य उद्देश्य- ट्रस्ट का मुख्य उद्देश्य भिन्न-भिन्न स्थान पर शिक्षण संस्थाएँ यानि प्राथमिक विद्यालय से लेकर उच्च स्तरीय महाविद्यालय, शैक्षणिक विद्यालय व चिकित्सा शिक्षा, मेडिकल कालेजों एवं अन्य उच्च शिक्षा संस्थानों आदि की स्थापना करना। ग्रामीण अंचल में मध्यम व कमजोर वर्ग के साथ-साथ दलितों को उनके इच्छानुसार शिक्षा मुहैया कराना है। प्रौढ़ शिक्षा, व्यवसायिक शिक्षा, तकनीकी शिक्षा व इंजिनियरिंग कालेजों व विभिन्न खेलों की व्यवस्था करना एवं संचालन करना, शिक्षा को देश-प्रदेश के कोने-कोने में प्रकाश फैले इसके लिए हर सम्भव कार्य करना, स्थापना करना, कम शुल्क में पात्र बच्चों को निःशुल्क शिक्षा के लिए ट्रस्ट हर सम्भव प्रयत्नशील रहेगा। ट्रस्ट भूमि भवन व पूँजी की व्यवस्था कर देश-प्रदेश के किसी भी स्थान पर शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना करके शिक्षा के माध्यम से निर्धन, मध्यम व दलितों को आत्म निर्भर कर उनके जीवन स्तर को उँचा उठायेगा, लघु एवं कुटीर उद्योगों की स्थापना करना एवं उसका संचालन करना, खासि ग्रामोद्योग द्वारा चलायी गयी संस्थाओं हेतु अनुदान प्राप्त करना एवं संचालित करना, विद्यालय, अनाथालय, छात्रावास, सांस्कृतिक, संस्था आदि की स्थापना करना एवं संचालन करना, नारी उत्थान, बालोत्थान, कुष्ठरोगी, अस्पताल, प्रेस की स्थापना एवं संचालन करना, सामाजिक पत्रिका, अखबार, लाइब्रेरी, कला केन्द्र, उद्यान, साहित्य आदि संस्थाओं को खोलना एवं संचालन करना, नर्सिंग होम की स्थापना करना, ट्रस्ट दैवीय आंपुद्ग में जिला व राज्य प्रशासन का समय साधन से समय-समय पर आवश्यकतानुसार सहायता करेगा। ट्रस्ट सरकारी, अर्द्धसरकारी भूमि पर जिला व राज्य प्रशासन व राष्ट्रीय से समन्वय स्थापित कर कल्याणकारी योजनाओं का भी संचालन करेगा। किसी भूमि को क्रय-विक्रय करना तथा आवश्यकतानुसार इस ट्रस्ट से संचालित संस्था को लीज (पट्टा) पर देना एवं बी0टी0सी0, बी0एड0, बी0पी0एड0, टेक्निकल कालेज, सी0बी0एस0ई0 के स्कूलों की स्थापना उ0 प्र0 सरकार एवं भारत सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली समस्त शैक्षणिक आवासीय एवं सामाजिक संस्थाओं की स्थापना करना तथा संचालन करना। संस्थाओं के नामों का निर्णय ट्रस्ट की कार्यकारिणी द्वारा तय किया जायेगा।

Ranabhar Yadav

क्र.सं 2203 स्टाम्प धनराशि 50/-
स्टाम्प विक्रेय की तिथि 02.08.17
स्टाम्प कय करने का प्रयोजन.. 50/-
स्टाम्प केंता का नाम व पुरा पता.. 2202

स्टाम्प विक्रेता- राजेश प्रसाद राय
ता. नं०-100 सवर-पक





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BK 101304

- 8- मुख्य संरक्षक ट्रस्टी संस्थाओं के लिए भूमि भवन का क्रय-विक्रय लीज (पट्टा) करना एवं वादों का निस्तारण की पैरवी करेगा।
- 9- ट्रस्टी चल-अचल सम्पत्तियों को ट्रस्ट के उद्देश्य की पूर्ति के लिए बेच या खरीद सकता है।
- 10- ट्रस्टी ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अनुदान प्राप्त कर सकता है एवं उसे खर्च कर सकता है।
- 11- संस्था के कर्मचारियों की नियुक्ति, निलम्बन व बर्खस्तगी करने का अधिकार संस्थापक ट्रस्टी के पास सुरक्षित है।
- 12- संस्थापक ट्रस्टी किसी भी समय किसी सदस्य को कारण बताकर 2/3 बहुमत से निकाल सकता है यह प्राविधान संस्थापक ट्रस्टी एवं उसके उत्तराधिकारी पर लागू नहीं होगा।
- 13- किसी भी सामान्य उद्देश्य से संस्था/समिति का संचालन एवं उसका विलय अपने (ट्रस्ट) में कर सकता है।

महासचिव संस्थापक ट्रस्टी द्वितीय-

- 1- मुख्य संरक्षक ट्रस्टी की अनुपस्थिति में उसके कार्य का सम्पादन महासचिव संस्थापक ट्रस्टी अपने हस्ताक्षर से करेगा तथा मुख्य संरक्षक ट्रस्टी को अवगत करायेगा।
- 2- बैठक बुलाना एवं सूचना देना।
- 3- ट्रस्ट (न्यास) के उन्नति के लिए निर्देश देना।
- 4- नये सदस्यों के लिए स्वहस्ताक्षरित रसीद जारी करना।
- 5- ट्रस्ट (न्यास) में नये सदस्य बनाये संस्था में कर्मचारियों की नियुक्ति निष्कासन एवं पदोन्नति आदि का पूर्ण अधिकार महासचिव संस्थापक ट्रस्टी को होगा।
- 6- ट्रस्ट (न्यास) के उन्नति हेतु विभिन्न विभागों से समन्वय स्थापित कर योजनाएँ प्रस्तुत करना तथा ट्रस्ट (न्यास) के हित में समस्त कार्यों का सम्पादन करना।
- 7- अन्य सभी अधिकारों का प्रयोग करना जो नियमानुसार होंगे।
- 8- ट्रस्ट (न्यास) में नये सदस्यों को सदस्य बनाने के लिए संरक्षक संस्थापक ट्रस्टी एवं महासचिव संस्थापक ट्रस्टी दोनों के सहमति से सुनिश्चित करना तथा सम्पूर्ण सदस्यों को इसकी जानकारी देना।

सदस्य ट्रस्टी-

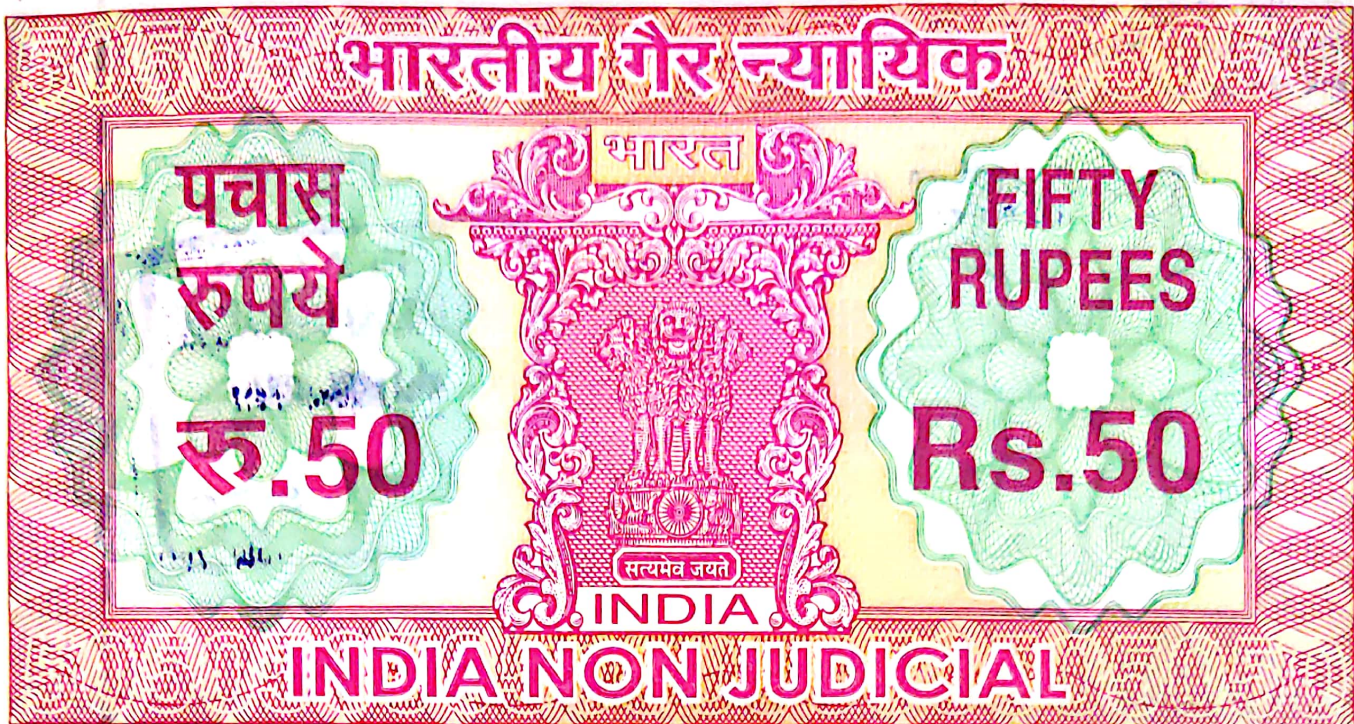
साधारण सभा एवं प्रबन्धकारिणी समिति के निर्देश पर बैठकों में भाग लेना एवं ट्रस्ट के सर्वोत्तम हित में निर्णय लेना एवं ट्रस्ट की योजनाओं में स्वार्थरहित भाव से सहयोग प्रदान करना।

Kaula...

कम तः 2205 स्टाभ बनरालि 59
स्टाभ विक्रेत की तिथि. 02.08.17
स्टाभ कय करमे का प्रयोजन.. 500...
स्टाभ केता का नाम व पुरा कता... 2202

स्टाभ विक्रेता सनेत्र प्रताप राव
सा. 10-100 सदर-मऊ





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BK 101305

ट्रस्ट का कार्यकाल— संस्थापक ट्रस्टी का कार्यकाल जीवन पर्यन्त होगा, वह जब तक जीवित रहेगा अपने पद पर बना रहेगा। प्रथम ट्रस्टी के अन्त के बाद संस्थापक ट्रस्टी की पत्नी या पुत्र जो भी हो संस्थापक ट्रस्टी के पद का धारण करेंगे, इनके न रहने पर ट्रस्ट (न्यास) समिति के सदस्यों का जो भी निर्णय होगा, मान्य होगा।

ट्रस्ट की विधिक प्रतिबद्धता— श्री वी0एस0वाई0 ट्रस्ट पंजीकृत अधिनियम 21, 1960 अन्तर्गत भारतीय न्यास अधिनियम 1882 के अन्तर्गत।

ट्रस्ट की सदस्यता— ट्रस्ट के संस्थापक ट्रस्टी प्रथम एवं महासचिव संस्थापक ट्रस्टी द्वितीय को मिलाकर कुल सदस्यों की संख्या 9 होगी एवं ट्रस्ट में किसी सदस्य का स्थान रिक्त होने पर संस्थापक ट्रस्टी प्रथम, द्वितीय की सहमती से 1,00,000.00 रुपये सदस्यता शुल्क जमा कराकर नया स्थायी सदस्य बनाया जा सकता है तथा इस ट्रस्ट द्वारा संचालित अन्य संस्थाओं के लिए ट्रस्ट एक अलग से प्रबन्धकारिणी समिति बना सकती है। जिसमें ट्रस्ट के सदस्यों के अतिरिक्त रु0 25,000.00 सदस्यता शुल्क जमा कराकर नये सदस्य बनाये जा सकते हैं। जिसका कार्यकाल पाँच वर्ष का होगा, परन्तु प्रबन्ध समिति में प्रबन्धक संस्थापक ट्रस्टी होगा तथा अन्य संचालित सभी संस्थाओं के प्रबन्धक भी संस्थापक ट्रस्टी ही होगा।

ट्रस्टी के अधिकार एवं कर्तव्य—

मुख्य संस्थापक संरक्षक ट्रस्टी प्रथम—

1- संरक्षक ट्रस्टी (न्यास) के सभी शाखाओं एवं उपशाखाओं तथा जुड़ी हुई संस्था के सदस्यों को आवश्यक निर्देश देगा।

2- संरक्षक द्वारा ट्रस्ट (न्यास) के कार्यहित में लिये गये निर्णय सर्वमान्य होंगे।

3- संस्था के आधारभूत सभा एवं प्रबन्धकारिणी समिति के सभी बैठकों की अध्यक्षता करना।

4- किसी भी विचारणीय विषय पर समानमत होने पर एक निर्णायक मत देना।

5- आवश्यक कोगजात पर हस्ताक्षर करना एवं कार्यान्वित करना।

6- ट्रस्ट (न्यास) के विकास से सम्बन्धित कार्यक्रमों का परामर्श देना एवं कार्यक्रमों का निर्धारण करना।

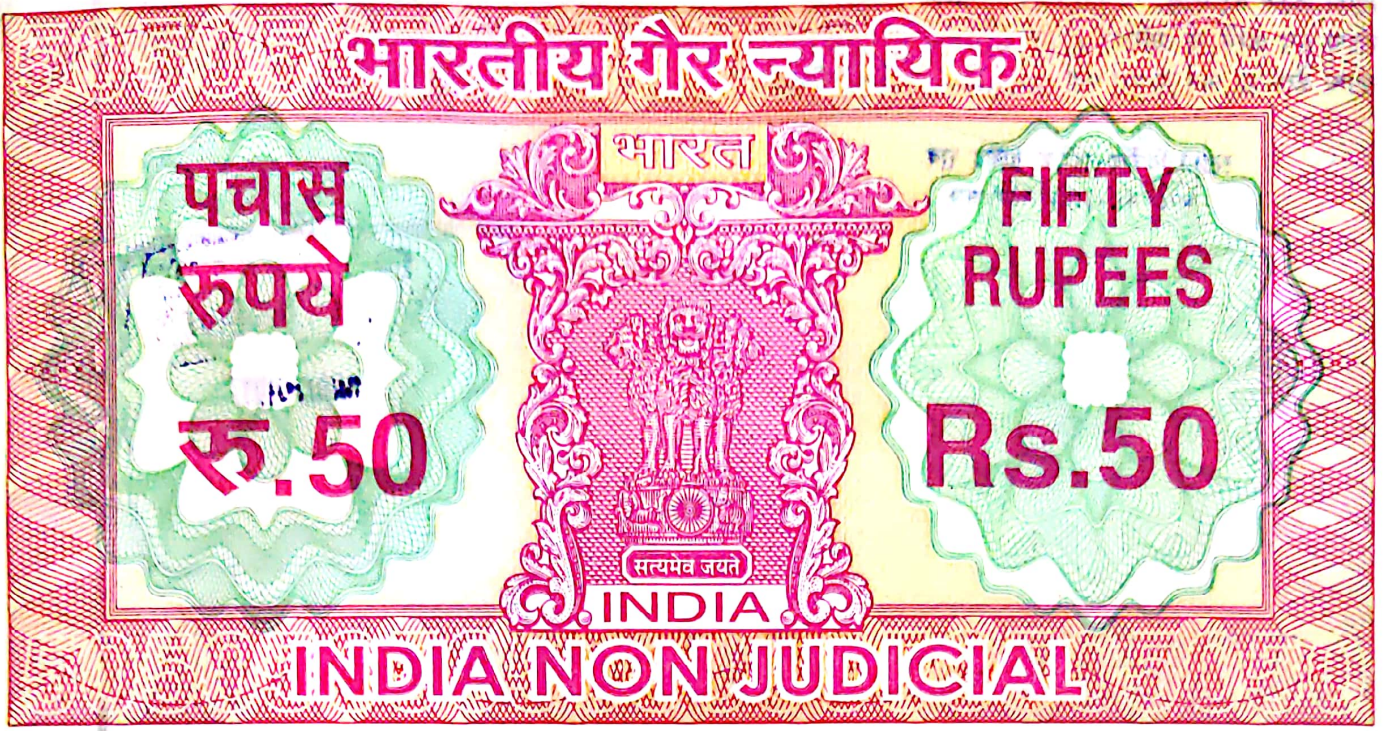
7- ट्रस्ट (न्यास) वाह्य एवं आन्तरिक नीतियों का निर्धारण करना एवं ट्रस्ट (न्यास) के विकास के तमाम संसाधन इकट्ठा करना व ट्रस्ट (न्यास) के पदाधिकारियों व सदस्यों को तत्सम्बन्धित कार्यवाही से अवगत कराना मुख्य संरक्षक ट्रस्टी का कर्तव्य होगा।

Ranbakhon Balan

कम नं० 2204 स्टांप धनराशि 50/-
स्टांप विवेक की तिथि 02-08-17
स्टांप कय करने का पयोजन 48...
स्टांप केंता का नाम व पुरा पता 2202

स्टांप विवेक - राजेश प्रसाद राय
नं० 100 प्रवर-प्रक





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BK 101306

ट्रस्ट (न्यास) के अंग—

ट्रस्ट (न्यास) निम्नलिखित दो वर्ग की होगी।

1— साधारण सभा

2— प्रबन्धकारिणी ट्रस्ट

साधारण सभा (गठन) — साधारण सभा का गठन ट्रस्ट (न्यास) के सभी सदस्यों को मिलाकर किया जायेगा।

बैठकें—

1— साधारण बैठकें— ट्रस्ट (न्यास) के साधारण सभा की सामान्य बैठक वर्ष में दो बार मार्च व सितम्बर माह में होगी।

2— विशेष बैठक— दो तिहाई सदस्यों की लिखित माँग पर या आवश्यकता पड़ने पर साधारण सभा की आवश्यक बैठक बुलाई जा सकती है।

सूचना अवधि— साधारण समिति में प्रबन्धकारिणी ट्रस्ट समिति का महासचिव संस्थापक ट्रस्टी एक सप्ताह पूर्व बैठक की सूचना डाक अथवा दस्ती द्वारा देकर बैठक बुला सकता है। विशेष परिस्थिति में 24 घण्टे की सूचना पर साधारण सभा ट्रस्टियों की बैठक बुलाई जा सकती है।

गणपूर्ति— बैठक में सदस्यों की गणपूर्ति का कोरम उपस्थिति होना आवश्यक है यह गणपूर्ति कुल सदस्यों की संख्या का $1/3$ होगी।

विशेष वार्षिक अधिवेशन— साधारण सभा का विशेष वार्षिक अधिवेशन वर्ष में एक बार दिसम्बर माह में होगा।

ट्रस्ट के साधारण सभा के कर्तव्य— साधारण सभा ट्रस्टियों के निम्नलिखित कर्तव्य होंगे।

(अ) वार्षिक आय—व्यय बजट चेक करना।

(ब) ट्रस्ट (न्यास) के विकास हेतु अगले वर्ष के लिए योजना एवं बजट निश्चित करना।

(स) प्रबन्धकारिणी ट्रस्टी समिति के पदाधिकारियों एवं सदस्यों का चयन करना।

(द) ट्रस्ट (न्यास) के विकास के लिए समय—समय पर उनके कार्यों को करना जो समिति के हित में हो।

ट्रस्ट (न्यास) की प्रबन्धकारिणी समिति—

गठन— साधारण सभा के सदस्यों द्वारा प्रबन्धकारिणी समिति का गठन किया जायेगा। जिसमें निम्न पद होंगे।

Ranlakhman Yadav

क्रम सं० 220 (स्टाम्प बनारस) 501
स्टाम्प विक्रेय की तिथि 02.08.17
स्टाम्प क्रय करने का प्रयोजन...
स्टाम्प क्रेता का नाम व पुरा पता... 2202

स्टाम्प विक्रेता-कमल प्रसाद राय
सा. नं०-100 सदर-मऊ



गवाह

Registration No.: 104

Year : 2017

Book No. : 4

W1 विजयशंकर यादव

जगरनाथ यादव

निजामुद्दीनपुरा तहसील-सदर जनपद-मऊ

कृषि

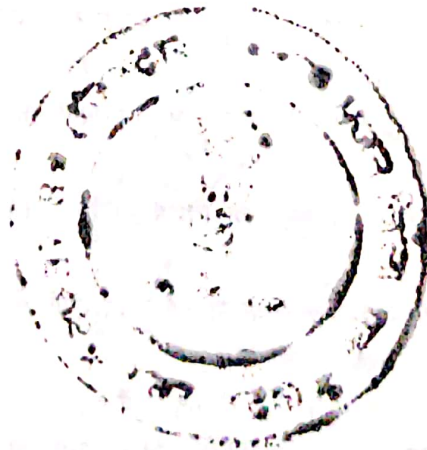


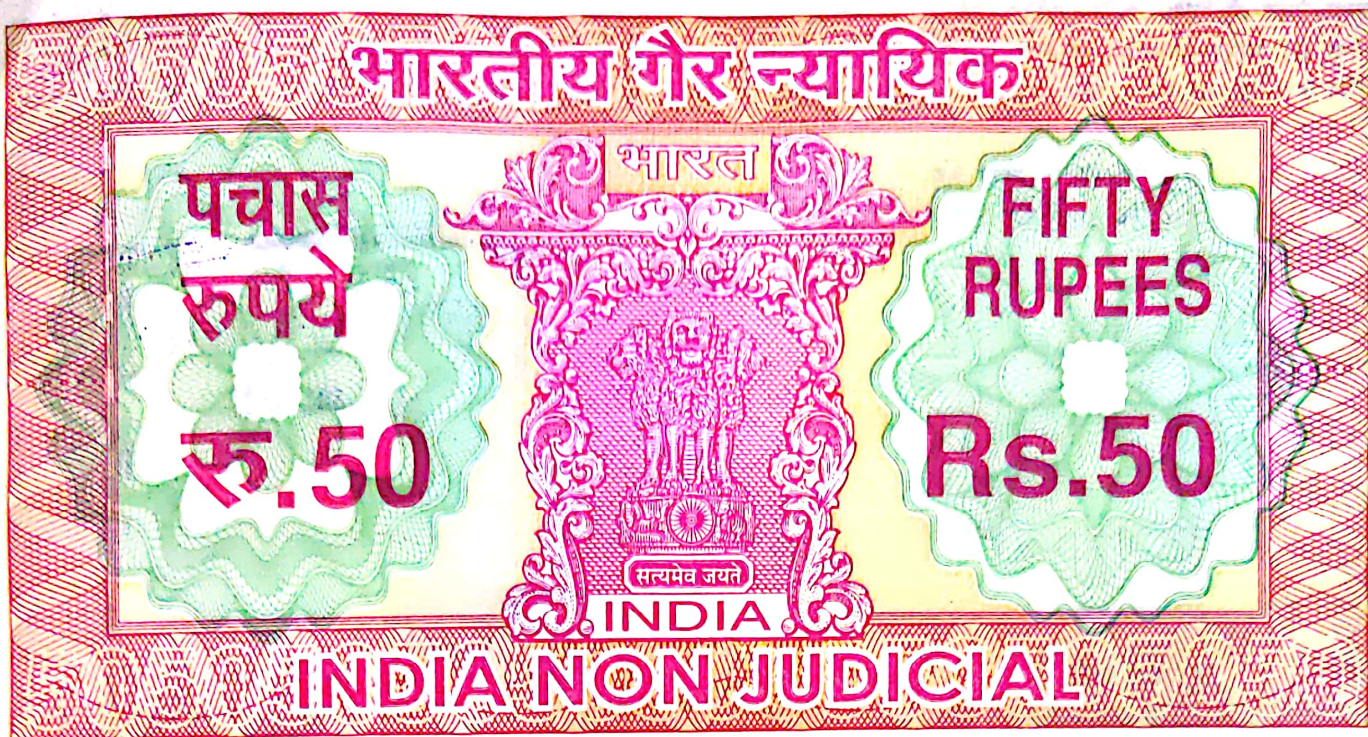
W2 महेन्द्र यादव

शिवलोचन

सहादतपुरा तहसील-सदर जनपद-मऊ

कृषि





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BK 101307

प्रबन्धक, उपप्रबन्धक, अध्यक्ष, उपअध्यक्ष, कोषाध्यक्ष एवं सदस्य। कमेटी में ट्रस्ट के सदस्य पद प्राप्त कर सकते हैं लेकिन प्रबन्धक पद संस्थापक ट्रस्टी का होगा या संस्थापक ट्रस्टी द्वारा भरा जायेगा। ट्रस्ट में संस्थापक ट्रस्टी एवं महासचिव संस्थापक ट्रस्टी के सहमति से 25,000.00 रुपये सदस्यता शुल्क जमा कराकर नये सदस्य बनाये जा सकते हैं। किन्तु ये सदस्य ट्रस्ट द्वारा संचालित किसी एक संस्था के लिए होंगे, इनकी अधिकतम संख्या 9 होगी एवं ट्रस्ट से सदस्यों से अलग होंगे तथा इनका कार्यकाल पाँच वर्ष का होगा। ट्रस्ट द्वारा संचालित किसी संस्था के प्रबन्धकारिणी समिति का कार्यकाल समाप्त हो जाता है एवं अगले चुनाव में किसी प्रकार का विलम्ब होता है तो अगले चुनाव तक वही प्रबन्ध समिति कार्य करती रहेगी। प्रबन्ध समिति कालातीत नहीं होगी तथा यदि प्रबन्ध समिति में किसी भी प्रकार का विवाद होता है तो उस प्रबन्ध समिति का सभी अधिकार ट्रस्ट में निहित हो जायेगा और उस संस्था के प्रबन्ध समिति का सभी कार्य ट्रस्ट द्वारा संचालित किया जायेगा।

बैठकें—

सामान्य— सामान्य स्थिति में ट्रस्ट (न्यास) का महासचिव/संस्थापक ट्रस्टी प्रबन्धकारिणी ट्रस्टी के मुख्य संरक्षक संस्थापक ट्रस्टी की अनुमति से बैठक बुलायेगा।

विशेष— विशेष बैठक प्रबन्धकारिणी ट्रस्टी का 2/3 सदस्यों की माँग पर प्रबन्धकारिणी ट्रस्टी समिति का महासचिव बुलायेगा।

सूचना अवधि— साधारण स्थिति में प्रबन्धक ट्रस्टी समिति, महासचिव संस्थापक ट्रस्टी एक सप्ताह की सूचना पर प्रबन्धकारिणी ट्रस्टी समिति की बैठक बुला सकता है विशेष बैठक के लिए प्रबन्धकारिणी ट्रस्टी समिति का महासचिव संस्थापक ट्रस्टी 24 घण्टे की सूचना पर बैठक बुला सकता है। सूचना दस्ती अथवा डाक अण्डर पोस्टिंग तथा समाचार पत्र द्वारा दी जा सकती है।

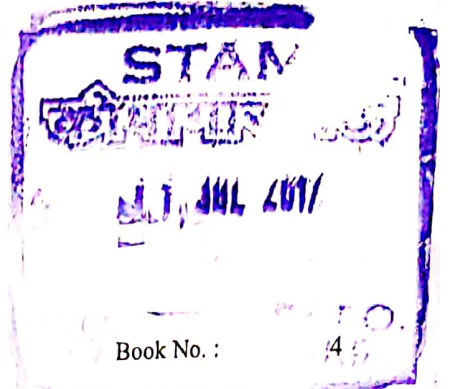
गणपूर्ति— प्रबन्धकारिणी ट्रस्टी समिति के समस्त बैठकों की गणपूर्ति समिति के सभी सदस्यों के 2/3 उपस्थिति में पूर्ण मानी जायेगी।

रिक्त स्थानों की पूर्ति— यदि किसी सदस्य के अस्वाभाविक निधन या त्याग पत्र या दिवालियापन या पागल हो जाने पर या ट्रस्ट (न्यास) से निष्कासित होने पर उसके स्थान पर प्रबन्धकारिणी ट्रस्टी सदस्यों के 2/3 के बहुमत से भरा जायेगा जिसमें संस्थापक ट्रस्टी प्रथम एवं द्वितीय का अनुमोदन आवश्यक है यह प्रक्रिया संस्थापक ट्रस्टी को भरने के लिए लागू नहीं होगी। नये सदस्य की

Ranabhan Yadav

क्रम नं० 2207 स्टाम्प धनराशि 50/-
स्टाम्प दिवस की तिथि 02-08-17
स्टाम्प कय करने का पर्योजन...
स्टाम्प केंता का नाम व पुरा पता... स्टाम्प नं० 2202

स्टाम्प दिवस मजदूर जमाद राय
लॉ० नं०-100 सदर-मऊ



न्यासी

Registration No.: 104

Year : 2,017

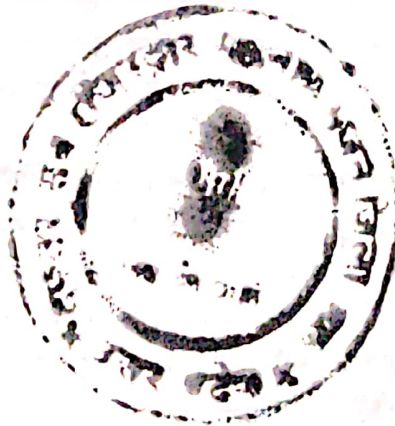
Book No. : 45

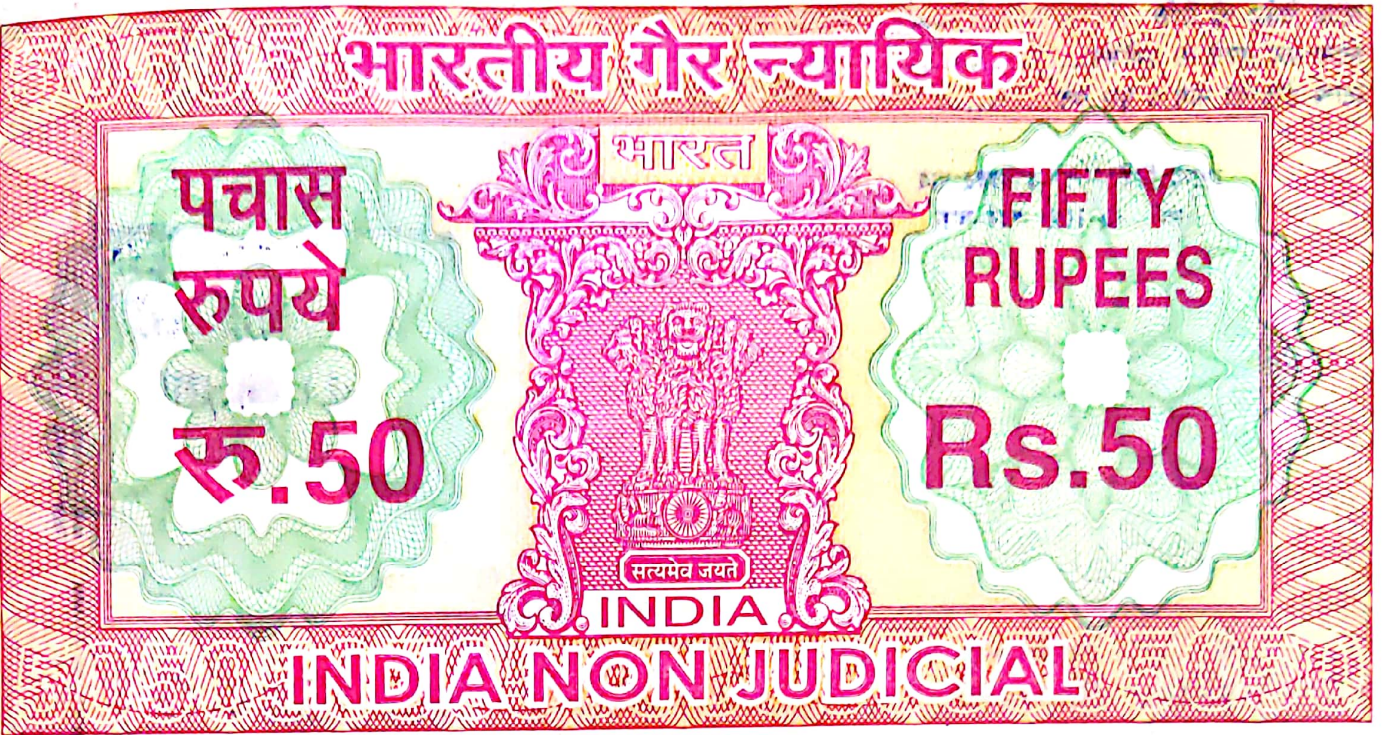
0101 रामलखन यादव

विजयशंकर यादव

निजामुद्दीनपुरा तहसील-सदर जनपद-मऊ

व्यापार





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BK 101308

नियुक्ति मुख्य संस्थापक ट्रस्टी की अनुमति से 2/3 बहुमत के अतिरिक्त 1,00,000.00 रुपये नगद या उतने की सम्पत्ति देने पर होगी। शुल्क रसीद मुख्य ट्रस्टी अथवा महासचिव ट्रस्टी के हस्ताक्षर से निर्गत होनी आवश्यक है। प्रबन्धकारिणी ट्रस्टी समिति के कर्तव्य— प्रबन्धकारिणी ट्रस्टी समिति के निम्नलिखित कर्तव्य होंगे।

- 1— बैठक बुलाना अथवा बैठक विसर्जित करना।
- 2— ट्रस्ट (न्यास) का प्रबन्धन करना अथवा ट्रस्ट (न्यास) द्वारा संचालित समस्त संस्थाओं का प्रबन्धन करना।
- 3— ट्रस्ट (न्यास) द्वारा संचालित संस्थाओं में कर्मचारियों की नियुक्ति, निष्कासन, पदोन्नति, विनियमितिकरण का अनुमोदन करना।
- 4— आय—व्यय का ब्यौरा रखना तथा उसे वार्षिक अधिवेशन के समय साधारण ट्रस्टी सभा के सामने प्रस्तुत करना।

21. ट्रस्ट (न्यास) के नियमों एवं विनियमों में संशोधन प्रक्रिया—

समय—समय पर परिस्थितियों के अनुसार प्रबन्धकारिणी ट्रस्ट (न्यास) के नियमावली में संशोधन एवं परिवर्तन कर सकती है। नियमावली की कटिंग अशुद्धि, संशोधन छुटे हुए शब्द अथवा वाक्य को अनाने का अधिकार प्रबन्धकारिणी ट्रस्ट (न्यास) को होगा।

22. ट्रस्ट (न्यास) के कोष—

ट्रस्ट (न्यास) के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कोष की स्थापना की जायेगी जो किसी राष्ट्रीयकृत बैंक/डाकघर में रखा जायेगा। जिसका संचालन संस्थापक ट्रस्टी की हस्ताक्षर से किया जायेगा। परन्तु ट्रस्ट द्वारा संचालित अन्य संस्थाओं के खातों का संचालन ट्रस्ट द्वारा गठित प्रबन्धकारिणी समिति के प्रबन्धक द्वारा किया जायेगा।

23. ट्रस्ट (न्यास) के आय—व्यय का लेखा परीक्षण—

प्रत्येक वित्तीय वर्ष में एक बार किसी भी योग्य आडिटर से संस्था का आय—व्यय का लेखा परीक्षण कराया जायेगा।

24. ट्रस्ट (न्यास) द्वारा अथवा उसके विरुद्ध अदालती कार्यवाही के संचालन का उत्तरदायित्व—

ट्रस्ट (न्यास) द्वारा अथवा उसके विरुद्ध समस्त अदालती कार्यवाही के संचालन का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व प्रबन्धकारिणी ट्रस्टी समिति पर होगा जो किसी पदाधिकारी अथवा सदस्य को इस कार्य के निमित्त नियुक्त कर सकती है।

25. ट्रस्ट (न्यास) के अभिलेख—

ट्रस्ट (न्यास) के समस्त अभिलेख जैसे— सूचना रजिस्टर, सदस्यता रजिस्टर, कार्यवाही रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर, कैश बुक संस्थापक ट्रस्टी के पास होंगे।

Ranlekham Yadav

कब सं० 2208 स्टांभ बनराशि 508
स्टांभ विक्रेय की तिथि 62.00.12
स्टांभ क्रय करने का प्रयोजन...
स्टांभ कैता का नाम व पुरा पता... 2202

स्टांभ विक्रेता राजेश प्रताप राव
सं० 100 लंदर-मऊ



यास पत्र

25,000.00

500.00

60

560.00

20

फीस रजिस्ट्री

नकल व प्रति शुल्क

योग

पृष्ठों की संख्या

न्यास की राशि

श्री रामलखन यादव

पुत्र श्री विजयशंकर यादव

व्यवसाय व्यापार

निवासी स्थायी निजामुद्दीनपुरा तहसील-सदर जनपद-मऊ

अस्थायी पता निजामुद्दीनपुरा तहसील-सदर जनपद-मऊ

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 4/8/2017 समय 2:56PM

बजे निबन्धन हेतु पेश किया।



रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

नन्द लाल
उप निबन्धक सदर

मऊ

4/8/2017

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमून

न्यासी

श्री रामलखन यादव Ram Lakhan Yadav

पुत्र श्री विजयशंकर यादव

पेशा व्यापार

निवासी निजामुद्दीनपुरा तहसील-सदर जनपद-मऊ



ने निष्पादन स्वीकार किया।

जिनकी पहचान विजयशंकर यादव

जगरनाथ यादव

पेशा कृषि

निवासी निजामुद्दीनपुरा तहसील-सदर जनपद-मऊ

व

महेन्द्र यादव

शिवलोचन

पेशा कृषि

निवासी सहादतपुरा तहसील-सदर जनपद-मऊ

ने की।

प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिये गये हैं।

एन० लाल (निबन्धन सहायक)

हस्ताक्षर-



रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

नन्द लाल
उप निबन्धक सदर

मऊ

4/8/2017


भारत सरकार
Government of India
विजयशंकर यादव
Vijayshankar Yadav
जन्म तिथि / DOB 01/07/1956
पुरुष / Male

3220 2877 4742
आधार - आम आदमी का अधिकार


भारत सरकार
Unique Identification Authority of India
पता: आर्यभट्ट जगन्नाथ यादव,
आजाद हिन्द ईटर कॉलेज के पास,
मिर्जापुरीपुरा, मऊ जिला, मऊ,
मऊ, उत्तर प्रदेश, 275101
Address: S/O. Jagannath Yadav, near
azad hind eater college, mirzapuripura,
Mirzapur District, Mau, Mau, Uttar
Pradesh, 275101
3220 2877 4742

1847
1800 300 1847

Keep it locked, give it

www.uidai.gov.in



भारत सरकार
Government of India

एच. एम. यदव
Ram Lakhan Yadav
जन्म तिथि/Dob: 10/12/1992
लिंग / GENDER: MALE

8130 0944 4535

आधार-आम आदमी का अधिकार

भारत सरकार
Government of India

पता:
6/0 विद्युत शर्करा यदव,
मिर्जापुर विधान सभा,
मिर्जापुर, पश्चिम
बंगाल, 726101

Address:
6/0 Vidyut Sharker Yadav, Mirja Bazar
Chakrabarti Road, Mirzapur,
Mirzapur, Uttar Pradesh, 221001

8130 0944 4535

Aadhaar-Aam Admi ka Adhikar

Ramlakhan Yadav

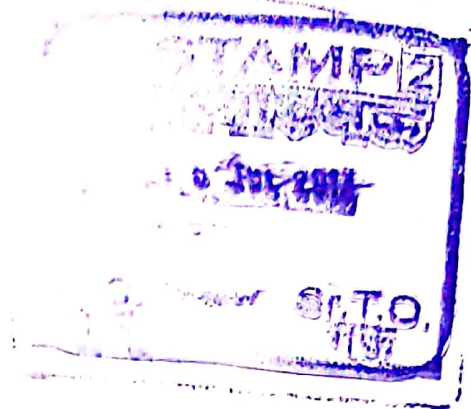


Handwritten text and a horizontal line, possibly a signature or title, with some faint markings.



कम नं० 2209 स्टांप बनगशि 105-
लगाय दिक्कत की तिथि 02.08.17
स्टांप काट करने का प्रयोजन 54-115-
स्टांप केता का नाम व पुता रतन, 2202

रतन सिंह नन्द लाल राय
नं० 10-1111 1111-1111



आज दिनांक 04/08/2017 को
वही सं. 4 जिल्द सं. 51
पृष्ठ सं. 241 से 260 पर कमांक 104
रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

nl
नन्द लाल
उप निबन्धक सदर
मऊ
4/8/2017

